



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276590
CG-DL-E-29092026-276590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4938]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4938]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2026.

का.आ. 5144(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्र. सं.	पुनरीक्षित मानक की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी56432609 आवश्यक अपेक्षाएँ ई-बैंड फिक्स्ड रेडियो रिले सिस्टम

2. आवश्यक अपेक्षाओं के लिए विद्यमान एवं पूर्वोक्त पुनरीक्षित मानक, प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि तक समवर्ती रूप से लागू रहेंगे, जिसके पश्चात केवल पुनरीक्षित मानक ही लागू रहेंगे।

[फा. सं. 24-02/2025-एसटीडी/टीईसी भाग (1)]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026.

S.O. 5144(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standard for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: —

Sl. No.	Number and name of revised standard
(1)	(2)
1.	TEC56432609 Essential Requirements E-band Fixed Radio Relay System

2. The existing standard and the above revised standard for essential requirements shall remain in force concurrently for a period of ninety days from the date of publication of this notification, after which, the revised standards only shall be applicable.

[F. No. 24-02/2025-STD/TEC-Part (1)]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General